

उड़नदस्ता की बड़ी कार्यवाही 262 बोरी पानी पाउच किया गया जस भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज कैलाश चौक वार्ड क्रमांक 16 कुरुद के पेट्रोल पंप के पास गौरव पंप पथ पर बोलेरो वाहन से 242 बोरी पानी पाउच जस किया तथा जोन क्रमांक 2 वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत संस्कार फैक्ट्री में निरीक्षण करते हुए 20 बोरी पानी पाउच जस करने की कार्यवाही की तथा फैक्ट्री संचालक से 10000 अर्थदंड की वसूली की गई। कुरुद रोड, नंदनी रोड, सहित निगम के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसायियों से प्रतिबंधित पानी पाउच तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ तथा दुकान का सामान अतिरिक्त रूप से बढ़ाकर व्यवसाय करने वालों पर कार्यवाही करते हुए कुल 20000 हजार अर्थदण्ड वसूलते हुए दोबारा इस प्रकार से न करने की समझाईस दी गई। नगर पालिक निगम, भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने वार्ड 12, कुरुद रोड, नंदनी रोड वैशाली नगर व शांतिनगर के अंतर्गत आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित पॉलिथीन व प्लास्टिक, कैरीबैग रखने वालों सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों पर कार्यवाही की। नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि का जायजा भी लिया लिया गया तथा 08 व्यवसायियों से 20000 हजार रुपये का दण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाईस दी गई की दुकान का सामान फैलाकर सड़क बाधा न करे

जनसम्पर्क अधिकारी

